Action taken on Law Commission reports

+

*46. SHRI VIJAY KUMAR YADAV:
SHRI CHITTA BASU :

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to lay a statement showing :

(a) whether Government have received seven reports from the Law Commission during the last two years ;

(b) if so, the details and subjects covered by these reports ; and

(c) the action being taken thereon ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGAN NATH KAUSHAL) : (a) to (c) The desired statement is at Annexure 'A'.

Annexure 'A'

(a) Yes, Sir.

(b) They are on the following subjects :—

(1) "Government Privilege in Evidence"—(Eighty-Eighth Report submitted on 10.1.1983)

(2) "Limitation Act, 1963"—(Eighty-Ninth Report received on 28.2.1983)

(3) "Grounds of Divorce amongst Christians in India"—(Ninetieth Report received on 17.5 1983)

(4) "Dowry Deaths and Law Reform"—(Ninety-First Report received on 10.8.83)

(5) "Damages in Applications for Judicial Review"—(Ninety-Second Report received on 7.9.1983)

(6) "Disclosure of Sources of Informations by Mass Media"—(Ninety-Third Report received on 1.10 1983).

(7) "Evidence obtained illegally or Improperly" — (Ninety-Fourth Report received on 3.11 83).

(c) The Reports received from the Commission are in English and the same have to be translated in Hindi with the assistance of the official Language Wing of this Ministry before it is decided to lay them before Parliament. All the Reports have to be printed both in Hindi and English for this purpose.

In so far as Ninety-First, Ninety-Second and Ninety-Fourth Reports are concerned, the Hindi translations have been received With a view to cutting short the delay in printing, it has been decided to get these reports cyclostyled as the same are not bulky. After copies of the Reports are ready and examined, the same will be placed on the Table of the House. This will be done as early as possible.

As regards the other Reports, action is being taken to get them translated into Hindi. After the translation is complete, the printed copies are available and the examination is done, these reports will also be laid on the Table of the House.

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, ला कमीशन को रिकांस्टीच्युट हुए लगभग दो वर्ष हो गए हैं । जवाब में बताया गया है कि सात रिपोर्ट्स ला कमीशन ने दी हैं । पिछली बार 27 अगस्त 1980 को लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट पेश हुई थी, उसके बाद सदन में कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई । मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि अनुवाद करने की दिक्कत है जिसकी वजह से रिपोर्ट तैयार नहीं हो

सकी । लेकिन, जवाब में ही है कि 10.8.83, 7.9.83 और 3.11.83 को जो रिपोर्ट्स आईं, उनका तो हिन्दी अनुवाद हो गया । उसके बाद 10.1.83 और 28.2.83 की जो रिपोर्ट्स है और जिनको लगभग एक साल से ऊपर हो गया है, उनका हिन्दी अनुवाद अभी तक नही हुआ है । मैं यह जानना चाहता हू कि एक साल होने के बाद भी हिन्दी में अनुवाद न होने के क्या कारण है ?

चूकि उसके बाद जो रिपोर्ट आई है, उसका हिन्दी अनुवाद हो चुका है और जिनका हिन्दी अनुवाद हो चुका है, वह रिपोर्ट भी प्रकाशित नही हुई है और सदन पटल पर नही रखी गई है । इसका क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : नही रखी है, कारण क्या है ?

श्री जगन्नाथ कौशल मैंने जवाब में यह बताया है कि दो बाते करनी पडती है । एक हिन्दी मे अनुवाद कराना पडता है और दूसरे उन्हे प्रिंट कराना पडता है । इसके साथ ही डिपार्टमेंट उसको एग्जामिन करता है । खाली लॉ-डिपार्टमेंट ही एग्जामिन नही करता बल्कि दूसरी मिनिस्ट्रीज से भी राय ली जाती है । जो रिपोर्ट हिन्दी मे ट्रांस्लेट हो गई है, उसका प्रिंटिंग नही हुआ, लेकिन हमने फैसला किया है कि उसे साइक्लो-स्टाइल करवा लेंगे और उसके बाद प्रिंटिंग की बात छोड देंगे । इतनी देर में हम मन भी बना लेंगे ताकि वह रिपोर्ट हाउस के सामने आ जाये ।

श्री राम विलास पासवान : दोनो रिपोर्टें साथ-साथ क्यो नही देते । कांस्टी-ट्यूशन का पालन नहीं हो रहा है । आप दोनो रिपोर्टें साथ साथ दें ।

श्री विजय कुमार यादव : मेरे सवाल का जवाब नही दिया गया है और जो जवाब दिया भी गया है, उसमे कोई टाइम नही बताया गया है कि कब तक आखिर इसका हिन्दी अनुवाद हो जायेगा ? कब तक डिपार्टमेंट तैयार कर लेगा और कब तक सदन-पटल पर वह रखा जायेगा और इस पर कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

ऐसा लगता है कि काफी अर्से के बाद भी इस पर कार्यवाही नही हो रही है, जब कि इसमे बहुत से इम्पार्टेन्ट पाइट्स मौजूद है । मत्री महोदय स्पैसिफिकली बताये कि जिनका हिन्दी अनुवाद हो चुका है, वह कब तक टेबल पर रखी जायेगी और जिनका हिन्दी अनुवाद नही हुआ है, वह कब तक अनुवाद होकर सभा-पटल पर रखी जायेगी और डिपार्टमेंट वगैरह से विचार कर के कब तक इस पर कार्यवाही की जायेगी ?

श्री जगन्नाथ कौशल कोई निश्चित समय नही बताया जा सकता है ।

श्री मनी राम बागड़ी : क्यों नहीं बताया जाता है ? यह कोई जवाब नही है । अगर यह जवाब है तो यह सरकार नही है, कोई दूकान है । सरकार को चाहिये कि समय बताये ।

श्री जगन्नाथ कौशल मैं हाउस को एश्योर करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हम कर सकेंगे, करेंगे ।

श्री मनीराम बागड़ी : विधि मंत्री जी, यह कोई जवाब नही है । यह तो बगैर प्रोग्राम का जवाब है, इससे तो अच्छा है, आप शान्त कर जाओ कुछ न बोलो ।

श्री विजय कुमार यादव : जल्दी का क्या मायना है, 1 साल, 2 साल, 3, साल या 4 साल ?

श्री जगन्नाथ कौशल : इतना टाइम नहीं लगेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अवाब देने दो।

श्री राम विलास पासवान : वह जवाब दे चुके। कांस्टीट्यूशन के मुताबिक इस देश की राजभाषा हिन्दी है और अंग्रेजी सह-योगी भाषा है। लेकिन जितने सरकारी कामकाज हो रहे है वह सारे के सारे पहले अंग्रेजी में होते है। आज 36 साल के बाद भी हिन्दुस्तान का संविधान हिन्दी मे नहीं है जिसको कोर्ट में अथौंटिक तरीके से रखा जा सके। यदि मंत्री महोदय कहे कि है, तो मैं मान लूंगा। सरकार की जो भी रिपोर्ट निकले वह हिन्दी और अंग्रेजी में साथ साथ निकलनी चाहिए।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैंने यही तो कहा है कि अंग्रेजी और हिन्दी दोनों वर्शन्ज टेबल पर रख जाएगे। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैं संविधान के बारे मे पूछा है।

श्री जगन्नाथ कौशल : संविधान का हिन्दी ट्रांसलेशन हो चुका है। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैंने सीधा सवाल पूछा है कि क्या संविधान के हिन्दी रूपान्तर को कोर्ट में मान्यता है या नहीं।

श्री जगन्नाथ कौशल : क्यों नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : नहीं है। (व्यवधान) क्या कोर्ट में हिन्दी के संविधान को महत्व दिया जाता है या नहीं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या कोर्ट में हिन्दी के संविधान को मान्यता है या नहीं ?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब नही दिया है। उनसे जवाब देने के लिए कहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में अलग क्वेस्चन दे दे।

क्या हिन्दी वशन आथेन्टीकेटिड है या नहीं ?

श्री जगन्नाथ कौशल : कांस्टीच्यूशन का तर्जुमा तो बहुत पहले हो चुका है। लेकिन मेम्बरो को एक बात मालूम होनी चाहिए कि कांस्टीच्युएन्ट एसेम्बली ने जो कांस्टी-च्यूशन बनाया था, वह अंग्रेजी में बनाया था और उस अंग्रेजी के कास्टीच्यूशन पर कांस्टीच्युएन्ट एसेम्बली के मेम्बरान के दस्तखत है। उस कास्टीच्यूशन का हमने हिन्दी में ट्रांसलेशन कर दिया है। माननीय सदस्य इसके अलावा और क्या पूछ रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : कोर्ट किस वर्शन को मान्यता देती है ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सरकार ने जो तर्जुमा किया है, क्या कोर्ट उनको मानती है या नहीं ?

MR. SPEAKER : The Question Hour is over. We shall take it up later.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : Let him give a reply, Sir.

MR. SPEAKER : It will take time.

श्री रामावतार शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस समय के राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद, ने हिन्दी वर्शन को आथेन्टीकेट किया था या नहीं, उन्होंने उस पर दस्तखत किए थे या नहीं ।

श्री राम विलास पासवान : 36 साल के बाद ये इस तरह मजाक नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें हम सब शामिल हैं । इसमें मजाक की क्या बात है ?

श्री राम विलास पासवान : मैं जानना चाहता हूं कि रोयल पोजीशन क्या है । क्या हिन्दी कांस्टीट्यूशन को कोर्ट में महत्व मिलेगा या नहीं ?

SHRI CHANDRAJIT YADAV : The simple question is whether the Hindi version has been authenticated or not.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Let the Ministry reply to that.

MR. SPEAKER : Let him fully prepare himself. We shall ask him later. The Question Hour is over ..

SHRI RATANSINH RAIDA : It is a very important and basic issue ..

(Interruptions)

MR. SPEAKER : I will verify it and then we shall talk about it. Let me verify it. देख कर इस बारे में बात करेंगे ।

AN HON. MEMBER : You direct him to make a statement.

MR. SPEAKER : Let me go into it.

श्री मनीराम बागड़ी : आप देख कर इसका जबाब दिलवाइए ।

———

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Solution of the disputes between the brick Kiln owners and workers

*42. SHRI DAYA RAM SHAKYA :
SHRI S.B. SIDNAL :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the details of the disputes between the Kiln owners and Kiln workers ;

(b) the details of demands of Kiln workers as well as of Kiln owners and reasons why Government have not been able to resolve the matter so far ; and

(c) how much more time Government are likely to take in resolving the disputes and ensuring re-commissioning of Kilns ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI VEERENDRA PATIL) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The All India Brick and Tile Manufacturers Federation has been representing to the Government for granting the brick kiln industry exemption from the provision of certain Central Labour Laws, *viz.* Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976, Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979, Factories Act, 1948, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 etc., in consideration of the peculiar conditions obtaining in the industry. The brick kiln operations which normally commence after the rainy season did not so commence in the States of Punjab, Haryana, U.P., Bihar and Union Territory of Delhi during 1983-84 as per schedule, pending a decision on the representation of the Federation, This rendered the workers who would have been ordinarily employed in the brick kilns, unemployed. There